

DAILY CURRENT AFFAIRS



24 MARCH 2025


THE HINDU

दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS

Hindustan Times

UPSC, IAS/PCS AND ALL
COMPITETIVE EXAM



ABHAY SIR



Events in News



Topic 1- परसीमन आयोग (Delimitation Commission)

Topic 2- जोशीमठ में भूधंसाव: एसएआर तकनीक से भयावह तस्वीर

Topic 3 - विश्व जल दिवस

*Topic 4 - गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश: पहाड़ी कटाई पर रोक
और बाढ़ नियंत्रण*

Topic 5 – भारत में तंबाकू उत्पादन और निर्यात

Topic 6- रायसीना डायलॉग 2025 – प्रमुख बिंदु

Topic 7- ओटावा कन्वेंशन (Mine Ban Treaty)

परसीमन आयोग (Delimitation Commission)

Result Mitra



- परसीमन आयोग (Delimitation Commission) भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के लिए गठित एक वैधानिक (न कि संवैधानिक) निकाय है।
- **स्थापना** :- संसद द्वारा पारित कानून के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- **उद्देश्य** :- जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों का न्यायसंगत पुनर्वितरण सुनिश्चित करना है।

1. परसीमन आयोग क्या है?

- परसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत स्थापित किया जाता है। यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का कार्य करता है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का समान वितरण हो सके।



2. परसीमन आयोग की स्थापना

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
- परसीमन आयोग की सिफारिशें अंतिम और बाध्यकारी होती हैं तथा इन पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता।

3. परसीमन आयोग का उद्देश्य

- 1. संसदीय और विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करना।
- 2. मतदाताओं के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना।
- 3. जातीय और भौगोलिक असंतुलन को दूर करना।
- 4. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना।

4. भारत में परसीमन आयोग के गठन का इतिहास

- अब तक चार बार परसीमन आयोग का गठन किया गया है:
- **1952** – पहली बार 1951 की जनगणना के आधार पर किया गया।
- **1963** – दूसरी बार 1961 की जनगणना के आधार पर।
- **1973** – तीसरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर।
- **2002** – चौथी बार 2001 की जनगणना के आधार पर।



वर्तमान स्थिति:

- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था।
- 84वें संविधान संशोधन (2001) के अनुसार, 2026 तक कोई परसीमन नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को पुनः निर्धारित किया गया।

5. परसीमन आयोग की संरचना

परसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. भारत के सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(अध्यक्ष)
2. भारत के चुनाव आयोग के सदस्य
3. संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त

6. परसीमन प्रक्रिया कैसे काम करती है?

1. जनगणना के बाद संसद द्वारा परसीमन अधिनियम पारित किया जाता है।
2. राष्ट्रपति परसीमन आयोग का गठन करते हैं।
3. आयोग जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्वितरण करता है।
4. सभी हितधारकों (राजनीतिक दल, जनता) से सुझाव लिए जाते हैं।
5. अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो बाध्यकारी होती है।



7. परसीमन आयोग से जुड़े विवाद

- राजनीतिक दलों का विरोध: कई दल आरोप लगाते हैं कि यह प्रक्रिया राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है।
- क्षेत्रीय असमानता: राज्यों की आबादी वृद्धि की भिन्नता के कारण कुछ राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं जबकि अन्य को नहीं।
- दक्षिण बनाम उत्तर भारत विवाद: दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण उन्हें कम लाभ मिलता है।

8. परसीमन और 2026 के बाद की संभावनाएँ

- 2026 के बाद 2021 की जनगणना के आधार पर एक नया परसीमन आयोग गठित किया जा सकता है।
- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है।
- दक्षिण और उत्तर भारतीय राज्यों के बीच सीटों के असंतुलन का मुद्दा फिर से उठ सकता है।

दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा परिसीमन आयोग का विरोध क्यों किया जा रहा है?

- दक्षिण भारत के राज्य (जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के प्रस्तावित बदलावों का विरोध कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नए परिसीमन से लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्वितरण होगा, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान हो सकता है।



1. विरोध के प्रमुख कारण

(1) जनसंख्या नियंत्रण का ढंड

- दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छी प्रगति की है, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत के राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि) की तुलना में कम है।
- परिसीमन यदि जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की सीटें या तो स्थिर रहेंगी या कम हो सकती हैं।

- इसका मतलब यह होगा कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई, उन्हें दंड मिलेगा और जिन्होंने अधिक जनसंख्या बढ़ाई, उन्हें इनाम मिलेगा।

(2) संसदीय प्रतिनिधित्व में असमानता

- वर्तमान में लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जबकि पूरे दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) की कुल सीटें लगभग 129 हैं।
- 2026 के बाद परिसीमन लागू होने पर उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों का राष्ट्रीय नीति-निर्माण में प्रभाव घट सकता है।

(3) संसाधनों का असमान वितरण

- संसद में यदि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, तो केंद्र सरकार का बजट और संसाधन आवंटन भी उन्हीं राज्यों को अधिक मिलेगा।
- दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि वे अधिक कर (Tax) देते हैं, लेकिन संसाधनों का बड़ा हिस्सा उत्तर भारतीय राज्यों में जाता है।
- यदि परिसीमन के कारण राजनीतिक शक्ति भी उत्तर भारत की ओर चली गई, तो दक्षिणी राज्यों को अधिक नुकसान हो सकता है।



(4) "एक देश, दो नीतियाँ" की आशंका

- दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण और रोजगार के अवसर बेहतर हैं
- यदि परिसीमन के बाद नीति-निर्माण में दक्षिण भारत का प्रभाव घट गया, तो राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ उत्तर भारत की समस्याओं को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे दक्षिण भारत की अनदेखी हो सकती है।

(5) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या आधारित परिसीमन को 2026 तक स्थगित किया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सके।
- दक्षिण भारत के राज्य इसी आधार पर तर्क दे रहे हैं कि यदि परिसीमन होता है, तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

2. संभावित समाधान

(1) केवल जनसंख्या नहीं, विकास और योगदान भी आधार बने

- परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राज्यों के आर्थिक योगदान, मानव विकास सूचकांक और संसाधन प्रबंधन के आधार पर होना चाहिए।
- इससे दक्षिण भारतीय राज्यों को उनके विकास के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सकता है।



(2) राज्यसभा की भूमिका बढ़ाई जाए

- यदि लोकसभा में उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ता है, तो राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाकर राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

(3) विशेष पैकेज और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण

- दक्षिण भारतीय राज्यों को विकास और कर योगदान के आधार पर अधिक संसाधन देने की नीति बनाई जा सकती है।

(4) निर्वाचन क्षेत्र का आकार (Size) बढ़ाया जाए, सीटें कम न की जाएं

- यदि परिसीमन के कारण दक्षिण भारत की सीटें बढ़ नहीं सकतीं, तो कम से कम उन्हें पुरानी संख्या पर बनाए रखा जाए, जिससे राजनीतिक शक्ति में बड़ा बदलाव न हो।

यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

1. परिसीमन आयोग का संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 170: राज्यों की विधानसभा सीटों के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
- अनुच्छेद 330 और 332: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण।



2. परसीमन आयोग की विशेषताएँ

- यह संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि वैधानिक निकाय है, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है।
- इसकी सिफारिशें अंतिम और बाध्यकारी होती हैं।
- इन सिफारिशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।


3. भारत में परसीमन आयोग का इतिहास

अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ:

1. **1952** – 1951 की जनगणना के आधार पर
2. **1963** – 1961 की जनगणना के आधार पर
3. **1973** – 1971 की जनगणना के आधार पर
4. **2002** – 2001 की जनगणना के आधार पर

4. 42वां संविधान संशोधन (1976) का प्रभाव

- 1976 में परिसीमन को स्थगित कर दिया गया ताकि राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित किया जा सके।
- 84वां संविधान संशोधन (2001): परिसीमन को 2026 तक स्थगित किया गया, लेकिन आरक्षित सीटों (SC/ST) का पुनर्निर्धारण किया गया।



5. परिसीमन आयोग की संरचना

- अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- सदस्य: भारत के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त।

6. परिसीमन से जुड़े विवाद

- दक्षिण भारत का विरोध: दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया, इसलिए केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण अनुचित होगा।
- उत्तर भारत को अधिक लाभ: यदि परिसीमन हुआ, तो उत्तर भारत (यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान) की सीटें बढ़ेंगी, जिससे संसदीय प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हो सकता है।

7. 2026 के बाद संभावित बदलाव

- 2021 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन संभव।
- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है (वर्तमान में 543 से अधिक हो सकती हैं)।
- दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का असंतुलन बढ़ सकता है।



Q1. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परिसीमन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है।
2. परिसीमन आयोग की सिफारिशें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं।
3. भारत में अब तक चार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं।

सही विकल्प चुनें:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. सभी 1, 2 और 3



स्पष्टीकरण:

- अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है।
- परिसीमन आयोग की सिफारिशें अंतिम और बाध्यकारी होती हैं और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- भारत में चार बार (1952, 1963, 1973, 2002) परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं।

Q2. परिसीमन आयोग की भूमिका और अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परिसीमन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है।
2. परिसीमन केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जाता है।
3. परिसीमन आयोग में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एक अनिवार्य सदस्य होते हैं।

सही विकल्प चुनें:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. केवल 2



स्पष्टीकरण:

- परिसीमन आयोग का गठन हर 10 साल में नहीं, बल्कि संविधान संशोधन या परिसीमन अधिनियम के अनुसार किया जाता है ✘
- परिसीमन केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जाता है, न कि पंचायत या नगर निकाय चुनावों के लिए ✔
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के सदस्य नहीं होते, बल्कि इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चुनाव आयोग का प्रतिनिधि और संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं ✘

जोशीमठ में भूधंसाव: एसएआर तकनीक से भयावह तस्वीर



जोशीमठ भूधंसाव –

- **1. जोशीमठ का परिचय:**
- स्थान: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पहाड़ी नगर।
- महत्व: बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली का प्रवेश द्वार; सैन्य और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।
- भूगोल: हिमालय क्षेत्र, सिस्मिक ज़ोन-5 (उच्च भूकंप जोखिम क्षेत्र)।



1. भूधंसाव की शुरुआत:

- उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में करीब दो साल पहले (2022) भूधंसाव शुरू हुआ।
- जनवरी 2023 में 800 से अधिक घरों में दरारें आईं, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ा।

2. भूधंसाव की वर्तमान स्थिति (2022-2024):


- दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 के बीच शहर के कई हिस्से 30 सेमी तक धंस चुके हैं।
- सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र: घनी आबादी वाले घर और राष्ट्रीय राजमार्ग।
- नगर पालिका के कुछ हिस्से 5 सेमी से 30 सेमी की दर से धंस रहे हैं।

3. जोशीमठ की संवेदनशीलता:

- यह हिमालय के भूकंप संभावित क्षेत्र (सिस्मिक ज़ोन-5) में स्थित है।
- पिछले 17 वर्षों में निर्मित क्षेत्रफल दोगुना हो गया है, जिससे भूधंसाव का खतरा बढ़ा।

4. भूधंसाव का आकलन कैसे किया गया?

- **SBAS SAR तकनीक:** सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) से जमीन के विस्थापन की सटीक निगरानी।



- **डेटा स्रोत:** कोपरनिकस सेंटिनल-1, गूगल बिल्डिंग फुटप्रिंट, ओपनस्ट्रीटमैप, एसआरटीएम।

समय अवधि:

- **दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023:** लैंड डिस्प्लेसमेंट -20.7 सेमी से +17.4 सेमी।
- **दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024:** लैंड डिस्प्लेसमेंट -24.5 सेमी से +22.9 सेमी।

5. अध्ययन का निष्कर्ष:

- पूरे घाटी क्षेत्र के भूधंसाव डेटा का विश्लेषण कर खतरनाक स्थिति की पुष्टि हुई।
- 13 मई 2024 को "नेचर" पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में भी इस स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया।

जोशीमठ भूधंसाव – यूपीएससी प्री के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. भूगोल एवं संवेदनशीलता


- उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित, सिस्मिक ज़ोन-5 (उच्च भूकंप जोखिम क्षेत्र)।
- पिछले 17 वर्षों में शहरीकरण दोगुना, जिससे भूधंसाव का खतरा बढ़ा।

2. भूधंसाव का आकलन

- **एसएआर तकनीक:** सिंथेटिक एपर्चर रडार से जमीन के विस्थापन की सटीक निगरानी।
- **डेटा स्रोत:** कोपरनिकस सेंटिनल-1, गूगल बिल्डिंग फुटप्रिंट, ओपनस्ट्रीटमैप।

3. मुख्य प्रभाव

- जनवरी 2023 में 800+ घरों में दरारें, कई इलाकों में 30 सेमी तक धंसाव।
- राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित।



4. वैज्ञानिक निष्कर्ष

- दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक निरंतर भूधंसाव की पुष्टि।
- 13 मई 2024 को "नेचर" पत्रिका में शोध प्रकाशित, जिसमें स्थिति की गंभीरता उजागर।

5. नियंत्रण के संभावित उपाय

- अवैध निर्माण पर रोक, जल निकासी प्रणाली में सुधार, पुनर्वास नीति लागू करना।
- दीर्घकालिक समाधान के लिए सतत वैज्ञानिक निगरानी और भू-तकनीकी सुधार।

जोशीमठ भूधंसाव से संबंधित संभावित यूपीएससी प्रारंभिक
परीक्षा (Prelims) प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जोशीमठ हिमालय क्षेत्र के सिस्मिक ज़ोन-4 में स्थित है।
2. जोशीमठ में भूधंसाव का अध्ययन सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) तकनीक से किया गया है।
3. अत्यधिक जल निकासी और निर्माण कार्य भूधंसाव के प्रमुख कारणों में से एक हैं।

सही विकल्प चुनें:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3



स्पष्टीकरण:

- जोशीमठ सिस्मिक ज़ोन-5 में स्थित है, न कि ज़ोन-4 में।
- भूधंसाव का अध्ययन SAR तकनीक के माध्यम से किया गया है।
- अनियंत्रित जल निकासी और निर्माण गतिविधियाँ भूधंसाव के प्रमुख कारण हैं।

विश्व जल दिवस

Result Mitra




विश्व जल दिवस 2025: थीम और महत्व

1. विश्व जल दिवस का उद्देश्य

- हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।
- ताजे और मीठे पानी के महत्व को उजागर करता है।
- सतत जल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-6) के तहत 2030 तक सभी को स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य।

2. 2025 की थीम: ग्लेशियर संरक्षण

- ग्लेशियरों की सुरक्षा पर केंद्रित।
- ग्लेशियर पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करने और जल आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए ग्लेशियरों का संरक्षण आवश्यक।



3. विश्व जल दिवस का इतिहास

- 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विचार पेश किया गया।
- 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया।
- 2025 में 32वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

4. ग्लेशियर संरक्षण का महत्व

- ग्लेशियर दुनिया के 70% मीठे पानी का भंडारण करते हैं।
- नदियों और जलाशयों को पुनः भरने में सहायक।
- पीने के पानी, कृषि और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत।
- ग्लेशियरों के पिघलने से जल संकट और आर्थिक नुकसान की आशंका।



5. ग्लेशियरों के पिघलने से संभावित नुकसान

- वैश्विक GDP को \$4 ट्रिलियन का खतरा।
- कुछ क्षेत्रों में GDP में 6% तक गिरावट की संभावना।
- 2050 तक शीतकालीन पर्यटन में \$30 अरब का नुकसान।

6. भारत और ग्लेशियर

- भारत में 16,627 ग्लेशियर, मुख्य रूप से हिमालय में।
- ISRO के अनुसार, ये ग्लेशियर देश की नदियों और जल संसाधनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7. ग्लेशियर संरक्षण के उपाय

- निरंतर निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु नीतियां।
- स्थायी जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण कार्यक्रम।

भारत और जल की स्थिति

- जल भारत के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण देश में जल संकट की समस्या गंभीर होती जा रही है।



1. भारत में जल संसाधन

- भारत में विश्व के 4% ताजे जल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि जनसंख्या 17% से अधिक है।
- औसत वार्षिक वर्षा: 1170 मिमी (लेकिन असमान वितरण)।
- भारत की प्रमुख नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी आदि।
- ग्लेशियर और भूजल स्रोत जल आपूर्ति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

2. जल संकट के कारण

- **अत्यधिक दोहन:** कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में अत्यधिक जल दोहन।
- **वर्षा का असमान वितरण:** कुछ क्षेत्रों में बाढ़, कुछ में सूखा।
- **जलवायु परिवर्तन:** ग्लेशियरों का पिघलना, मानसून में अनिश्चितता।
- **भूजल स्तर में गिरावट:** बोरवेल और नलकूपों का अनियंत्रित उपयोग।
- **जल प्रदूषण:** औद्योगिक और घरेलू कचरे से नदियों व झीलों का दूषित होना।
- **वृक्षों की कटाई:** वनस्पति क्षेत्र घटने से जल संरक्षण में कमी।



3. जल संकट के प्रभाव

- कृषि उत्पादन में गिरावट → खाद्य सुरक्षा को खतरा।
- शहरी जल आपूर्ति संकट → महानगरों में पानी की कमी।
- औद्योगिक उत्पादन प्रभावित → जल-आधारित उद्योगों पर असर।
- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान → जलाशयों और नदियों की जैव विविधता को खतरा।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ → गंदे पानी से जलजनित रोगों में वृद्धि।

4. जल संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास

- जल जीवन मिशन (2019) → 2024 तक हर घर जल योजना।
- अटल भूजल योजना (2019) → भूजल प्रबंधन को बढ़ावा।
- नमामि गंगे योजना (2014) → गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवना।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) → 'हर खेत को पानी' और जल उपयोग दक्षता।
- राष्ट्रीय जल नीति (2012) → जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए रूपरेखा।
- सूक्ष्म सिंचाई योजना → ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई को बढ़ावा।



5. जल संरक्षण के उपाय

- **वर्षा जल संचयन** → बारिश के पानी को संग्रहित कर भूजल रिचार्ज।
- **सतत कृषि पद्धतियाँ** → अधिक जल उपयोग वाली फसलों की जगह कम पानी की जरूरत वाली फसलों को प्रोत्साहन।
- **शहरी जल प्रबंधन** → वॉटर री-साइकलिंग और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण।
- **वन संरक्षण** → वनों के कटाव को रोककर जल संचयन को बढ़ावा।
- **जन जागरूकता** → जल संरक्षण के प्रति नागरिकों को शिक्षित करना।

विश्व जल दिवस 2025: UPSC प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. विश्व जल दिवस का उद्देश्य

- हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।
- ताजे और मीठे पानी के महत्व को उजागर करना।
- SDG-6: 2030 तक सभी को स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना।



WORLD
WATER
DAY
March 22

2. 2025 की थीम: "ग्लेशियर संरक्षण"

- ग्लेशियर पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करने और जल आपूर्ति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए ग्लेशियरों का संरक्षण आवश्यक।

3. विश्व जल दिवस का इतिहास

- **1992:** संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो डी जेनेरियो) में विचार प्रस्तावित।
- **1993:** पहला विश्व जल दिवस मनाया गया।
- **2025:** 32वीं वर्षगांठ।

4. ग्लेशियर संरक्षण का महत्व

- पृथ्वी के 70% मीठे पानी का भंडारण ग्लेशियरों में है।
- नदियों और जलाशयों को पुनः भरने में सहायक।
- पीने के पानी, कृषि और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण।

5. ग्लेशियरों के पिघलने से संभावित नुकसान

- वैश्विक GDP को \$4 ट्रिलियन तक का नुकसान।
- कुछ क्षेत्रों में GDP में 6% तक गिरावट।
- 2050 तक शीतकालीन पर्यटन में \$30 अरब का संभावित नुकसान।



6. भारत और ग्लेशियर

- भारत में 16,627 ग्लेशियर, मुख्यतः हिमालय में।
- ISRO के अनुसार, ये जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण।

7. ग्लेशियर संरक्षण के उपाय

- निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु नीतियां।
- स्थायी जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण।

भारत और जल संकट: UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. भारत में जल संसाधन

- भारत के पास विश्व के 4% मीठे जल संसाधन, जबकि जनसंख्या 17% से अधिक।
- औसत वार्षिक वर्षा: 1170 मिमी (असमान वितरण)।
- प्रमुख नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी।

2. भारत में जल संकट के कारण

- **अत्यधिक दोहन:** कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में बढ़ता जल उपयोग।
- **भूजल स्तर में गिरावट:** बोरवेल और नलकूपों का अत्यधिक उपयोग।
- **जलवायु परिवर्तन:** ग्लेशियरों का पिघलना, मानसून में अनिश्चितता।
- **जल प्रदूषण:** औद्योगिक और घरेलू कचरे से जल स्रोत दूषित।



3. जल संकट के प्रभाव

- कृषि उत्पादन में गिरावट → खाद्य सुरक्षा पर खतरा।
- शहरी जल आपूर्ति संकट → महानगरों में पानी की भारी कमी।
- औद्योगिक उत्पादन प्रभावित → जल-आधारित उद्योगों पर असर।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ → जलजनित बीमारियों में वृद्धि।

4. जल संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास

- **जल जीवन मिशन (2019):** 2024 तक "हर घर जल" योजना।
- **अटल भूजल योजना (2019):** भूजल प्रबंधन को बढ़ावा।
- **नमामि गंगे योजना (2014):** गंगा सफाई और पुनर्जीवन।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015):** 'हर खेत को पानी'।
- **राष्ट्रीय जल नीति (2012):** जल संरक्षण और प्रबंधन की रूपरेखा।
- **सूक्ष्म सिंचाई योजना:** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा।

5. जल संरक्षण के उपाय

- **वर्षा जल संचयन:** भूजल पुनर्भरण के लिए अनिवार्य।
- **सतत कृषि पद्धतियाँ:** कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा।
- **शहरी जल प्रबंधन:** जल पुनर्चक्रण और रीसाइविलिंग।
- **वन संरक्षण:** वनों की रक्षा से जल संरक्षण में वृद्धि।
- **जन जागरूकता:** समुदाय आधारित जल संरक्षण कार्यक्रम।

विश्व जल दिवस से संबंधित UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न
प्रश्न 2: संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में जल से
संबंधित कौन-सा लक्ष्य (Goal) शामिल है?

- A. SDG 3 – अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण
- B. SDG 6 – स्वच्छ जल और स्वच्छता
- C. SDG 10 – असमानता में कमी
- D. SDG 13 – जलवायु कार्रवाई



गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश: पहाड़ी कटाई पर रोक और बाढ़ नियंत्रण



1. न्यायालय का निर्देश (17 मार्च 2025)


- गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से पहाड़ी कटाई से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
- मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एन. उन्नी कृष्णन नायर की अध्यक्षता में सुनवाई हुई।
- सरकार को इस मुद्दे पर ताजा स्थिति की व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।

2. सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामा (18 दिसंबर 2024)

- जल निकासी सुधार के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और तूफानी जल निकासी व्यवस्था की विस्तृत सूची बनाई जा रही है।
- बहिनी नदी उप-बेसिन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर काम जारी।
- 26 दिसंबर 2024 को संशोधित प्रारंभिक रिपोर्ट हितधारकों के साथ साझा की गई।

3. एमिकस क्यूरी और विशेषज्ञों के सुझाव

- निचले क्षेत्रों में पहाड़ी कटाई और निर्माण कार्यों पर कम से कम 3 साल तक रोक।
- गुवाहाटी के सभी आरक्षित वन क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
- वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए।
- गैर-मियादी पट्टा भूमि पर सर्वेक्षण कर बड़ी संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगाई जाए।



4. पहाड़ी कटाई और बाढ़ की समस्या

- गुवाहाटी में बाढ़ का एक प्रमुख कारण पहाड़ों की अनियंत्रित कटाई है।
- निर्माण कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, लेकिन अंधाधुंध पहाड़ी कटाई रोकना अनिवार्य।

5. उच्च न्यायालय की अपेक्षाएँ

- असम सरकार को मास्टर प्लान तैयार करते समय विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार करने का निर्देश।
- प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देने पर जोर।

असम और कृषि क्षेत्र

- असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य की जलवायु, उर्वर भूमि और नदियाँ इसे कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल बनाती हैं। हालाँकि, बाढ़, मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ यहाँ की कृषि को प्रभावित करती हैं।

1. असम में कृषि का महत्व

- असम की करीब 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
- राज्य की कुल भूमि का 35% कृषि योग्य है।
- प्रमुख खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती हैं।
- चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान।



2. असम की प्रमुख फसलें

- (A) खाद्यान्न फसलें

फसल	विवरण
धान (चावल)	असम की प्रमुख फसल, कुल कृषि भूमि का 70 प्रतिशत क्षेत्र
मक्का	पशु आहार और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण
गेहूँ	सीमित मात्रा में ऊपरी असम और कुछ अन्य क्षेत्रों में उगाया जाता है।

- **(B) व्यावसायिक फसलें**

फसल	विवरण
चाय	असम दुनिया की सबसे बड़ी चाय उत्पादक क्षेत्र है, कुल भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत योगदान
गन्ना	चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण, राज्य के विभिन्न हिस्सों में उगाया जाता है।
जूट	असम भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में से एक
रबर	दक्षिण असम में वाणिज्यिक रूप से उगाया जाता है।

- (C) बागवानी फसलें

फसल	विवरण
केला	असम में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
संतरा	ब्रह्मपुत्र घाटी में विशेष रूप से उगाया जाता है।
अनानास	असम की प्रमुख फलों की फसल, निर्यात भी किया जाता है।

- 3. कृषि की चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
बाढ़ और मिट्टी कटाव	ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में हर साल बाढ़, जिससे कृषि को नुकसान
जलवायु परिवर्तन	अनिश्चित मानसून, बेमौसम बारिश और सूखे का प्रभाव
पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ	आधुनिक तकनीकों और यंत्रीकरण की कमी
भूमि की सीमित उपलब्धता	पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि योग्य भूमि सीमित
विपणन और भंडारण की समस्या	किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, भंडारण सुविधाओं की कमी

- 4. कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

योजना	उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषि सक्षम योजना	कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	जल संसाधनों का बेहतर उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	चावल, दाल और अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए
जैविक खेती मिशन	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा
किसान क्रेडिट कार्ड	किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना

5. कृषि सुधार के उपाय

- बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय जैसे तटबंध और जल संचयन प्रणाली।
- कृषि में आधुनिक तकनीक और यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- बाजार और भंडारण सुविधाओं में सुधार ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिले।
- मृदा परीक्षण और उर्वरक उपयोग की वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाना।
- सिंचाई प्रणाली में सुधार और वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग।



असम राज्य से संबंधित UPSC प्रीलिम्स संभावित प्रश्न
(MCQs) और उत्तर

**Q3. असम में कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान (National Park)
"यूनिस्को विश्व धरोहर स्थल" (UNESCO World Heritage
Site) के रूप में सूचीबद्ध है?**

- A. मानस राष्ट्रीय उद्यान
- B. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
- C. दीब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
- D. दोनों (A) और (B)



स्पष्टीकरण:

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) एक सींग वाले गैंडे (One-horned Rhinoceros) के लिए प्रसिद्ध है और यह UNESCO विश्व धरोहर स्थल भी है।
- मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park) भी एक बायोस्फीयर रिजर्व और UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।

भारत में तंबाकू उत्पादन और निर्यात



1. भारत में तंबाकू की स्थिति

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक (चीन के बाद) और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (ब्राजील के बाद) है।
- पिछले चार वर्षों में भारत का तंबाकू निर्यात दोगुना हो गया है।

2. प्रमुख उत्पादक राज्य

- गुजरात – खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन का 30%।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।
- हाल ही में, आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य बन गया है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस राज्य में तंबाकू का उत्पादन 110 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है।



3. तंबाकू की अनुकूल खेती की परिस्थितियाँ

(क) तापमान:

- 20°C से 27°C के बीच उपयुक्त।

(ख) वर्षा:

- वर्षा-सिंचित फसल के रूप में 500 मिमी. वर्षा की आवश्यकता।
- 1200 मिमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जाती।

(ग) मिट्टी:

- रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम।
- अपवाद: आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र जहां गहरी काली मिट्टी में तंबाकू उगाया जाता है।
- काली मिट्टी में सिगरेट उत्पादन के लिए विशेष तंबाकू की खेती की जाती है।

4. अन्य तथ्य

- तंबाकू का उपयोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा और अन्य उत्पादों में किया जाता है।
- तंबाकू खेती से रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन होता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है।
- सरकार तंबाकू नियंत्रण कानूनों और विकल्पी फसलों को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है।



तंबाकू उत्पादन से संबंधित UPSC प्रीलिम्स प्रश्न
प्रश्न : भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल
जलवायु और मिट्टी की स्थिति क्या है?

- A. 10°C से 15°C तापमान और चिकनी मिट्टी
- B. 20°C से 27°C तापमान और रेतीली दोमट मिट्टी
- C. 30°C से 40°C तापमान और लाल मिट्टी
- D. 15°C से 20°C तापमान और काली मिट्टी



स्पष्टीकरण:

- तंबाकू के लिए 20°C से 27°C तापमान उपयुक्त होता है।
- इसे रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि यह मिट्टी जल निकासी के लिए अच्छी होती है।
- हालांकि, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में गहरी काली मिट्टी में भी तंबाकू उगाया जाता है, लेकिन यह अपवाद है।

रायसीना डायलॉग 2025



रायसीना डायलॉग के बारे में

- रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलन है, जो समकालीन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है।
- इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा की जाती है।
- इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और यह अब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण नीति मंच बन चुका है।



- **रायसीना डायलॉग 2025:** 10वां संस्करण
- **स्थान:** नई दिल्ली
- **प्रतिभागी:** 125+ देशों के प्रतिनिधि (राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, शिक्षाविद्, थिंक टैंक, युवा नेता)
- **थीम:** "कालचक्र – पीपल, पीस एंड प्लैनेट" (Kalachakra: People, Peace and Planet)



मुख्य विषय:

1. ग्रीन ट्राइलेमा – ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और पहुंच
2. डिजिटल प्लैनेट – डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा
3. वैश्विक शासन और बहुपक्षीय व्यवस्था
4. हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक गतिशीलता
5. जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सहयोग
6. नई प्रौद्योगिकियां और उनका भू-राजनीतिक प्रभाव

रायसीना डायलॉग का महत्व

- भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है और इसे एक सशक्त भू-राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है।
- वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
- हिंद-प्रशांत, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और वैश्विक शासन पर सहयोग को बढ़ावा देता है।
- G20 और SCO की अध्यक्षता के बाद भारत की कूटनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाने का अवसर।



UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

- रायसीना डायलॉग की शुरुआत: 2016
- मेजबान संस्थाएं: विदेश मंत्रालय और ORF
- 2025 थीम: "कालचक्र – पीपल, पीस एंड प्लैनेट"
- 2025 में 10वां संस्करण आयोजित हुआ।
- 125+ देशों की भागीदारी।
- मुख्य चर्चा विषय: ग्रीन ट्राइलेमा, डिजिटल प्लैनेट, वैश्विक शासन, जलवायु परिवर्तन आदि।
- इसे एशिया के "म्यूनिख सिक्वोरिटी कॉन्फ्रेंस" के समकक्ष माना जाता है।

रायसीना डायलॉग से संबंधित UPSC प्रीलिम्स प्रश्न
(Statement-Based)

रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें:

1. इसकी मेजबानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा की जाती है।
2. यह भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला बहुपक्षीय भू-राजनीतिक और भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है।
3. रायसीना डायलॉग को पहली बार 2014 में आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. 10°C से 15°C तापमान और चिकनी मिट्टी
- B. 20°C से 27°C तापमान और रेतीली दोमट मिट्टी
- C. 30°C से 40°C तापमान और लाल मिट्टी
- D. 15°C से 20°C तापमान और काली मिट्टी



स्पष्टीकरण:

- रायसीना डायलॉग 2016 में शुरू हुआ था, न कि 2014 में। यह विदेश मंत्रालय और ORF द्वारा आयोजित किया जाता है।

ओटावा कन्वेंशन (Mine Ban Treaty)



ओटावा कन्वेंशन का परिचय:

- इसका आधिकारिक नाम "Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction" है।
- यह एंटी-पर्सनल माइंस (Anti-Personnel Mines - APMs) के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है।
- लक्ष्य: दुनिया से लैंड माइंस को समाप्त कर मानवीय सुरक्षा को बढ़ाना।

ओटावा कन्वेंशन की प्रमुख बातें:

स्वीकृति और प्रभाव:

- इसे 1997 में ओस्लो (नॉर्वे) में अपनाया गया और 1999 में लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसके डिपॉजिटरी (Depository) हैं।
- वर्तमान में 133 देश इसके पक्षकार हैं।



महत्वपूर्ण शर्तें:

- 1. सदस्य देश एंटी-पर्सनल माइंस (APMs) का उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण नहीं करेंगे।
- 2. मौजूदा स्टॉक को चार वर्षों के भीतर नष्ट करना होगा।
- 3. 10 वर्षों के भीतर अपनी भूमि से लैंड माइंस को हटाना (Deminings) होगा।
- 4. युद्ध पीड़ितों और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास हेतु सहायता देनी होगी।

भारत और ओटावा कन्वेंशन:

- भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

कारण:

- भारत की सीमाएँ माइन-प्रभावित क्षेत्रों (Pakistan & China Borders) पर स्थित हैं, जहाँ सैन्य उद्देश्यों के लिए माइंस की आवश्यकता हो सकती है।
- भारत का मानना है कि एंटी-पर्सनल माइंस की प्रतिबंध के बिना वैकल्पिक रक्षा रणनीति उपलब्ध नहीं है।
- हालांकि, भारत 1996 से APMs के निर्यात पर एकतरफा प्रतिबंध लगा चुका है।



ओटावा कन्वेंशन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य:

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण नाटो देशों की प्रतिक्रिया:

- पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से संभावित खतरे के कारण इस संधि से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं।
- वे अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लैंड माइंस को सैन्य रक्षणनीति के रूप में फिर से अपनाना चाहते हैं।
- रूस और अमेरिका इस संधि के सदस्य नहीं हैं।

UPSC प्रीलिम्स हेतु संभावित प्रश्न:
ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संधि एंटी-पर्सनल माइंस के उपयोग, उत्पादन और स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है।
2. भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने 1999 में इसे लागू किया।
3. इस संधि का डिपॉजिटरी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 2
- D. 1, 2 और 3



स्पष्टीकरण:

- भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है।